GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

	OFF.	RESI.
V.C. :	2570450	2570263
REGI. :	2570301	2570882
F.O. :	2572328	2500081

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर–24
KALYANPUR, KANPUR-24

संदर्भ : CSJMU/ AR(PP)/54(3)/2010 दिनांक : 10.12.2010

क्रमांक

निविदा – प्रपत्र

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के परिसर में ठेके पर कैन्टीन चलाने हेतु प्रतिष्ठित कैन्टीन संचालकों, जिन्हे कैन्टीन/मेस/कैटरिंग चलाने का कम से कम 10 वर्षो का अनुभव हो, से निविदाय दिनांक 31.12.2010 के अपराह्न 02:00 बजे तक आंमत्रित की जाती है तथा उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे निविदा खोली जायेगी। निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर ''जलपान गृह संचालन हेतु निविदा'' लिखना आवश्यक है। निविदा पत्र की निर्धारित धरोहर धनराशि रू. 50000.00 नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम जमा करना आवश्यक है। बगैर धरोहर धनराशि के निविदा–पत्र पर विचार नहीं किया जा सकेगा। आवश्यक नियम/शर्ते तथा खाद्य सामग्री की सूची निविदा–पत्र के साथ संलग्न है।

निविदा–प्रपत्र विश्वविद्यालय के कैश कॉउण्टर से रू. 200/– नकद देकर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा –प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किये जा सकते है। किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू.200/–का बैंक ड्राफ्ट, जो वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम कानपुर में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा–प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :

1. आवेदक का नाम :

2. पिता का नाम :

3. पता :

4. टेड टैक्स नं0 : वैधता की अवधि

5. टैन नं0/पैन.

6. कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र सहित :

7. निविदा पत्र क्रय करने सम्बन्धी प्राप्त रसीद का विवरणः
   ड्राफ्ट /रसीद सं0.......................................तिथि ....धनराशि....................................
   बैंक का नाम तथा ब्रांच ....

8. धरोहर धनराशि जमा करने का विवरणः
   ड्राफ्ट /रसीद सं0.......................................तिथि ....धनराशि....................................
   बैंक का नाम तथा ब्रांच ....

9. ठेके हेतु दी गयी दरें (अकों में) .... (शब्दो में)..

10. इस निविदा के साथ संलग्न नियम शर्ते पूर्ण रूप से स्वीकार है निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्यादेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अनुबन्ध पत्र सम्पादित कर आपूर्ति/संचालन का कार्य समय से प्रारम्भ करूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

<u>नियम व शर्ते</u>

1. ठेके की दरों का प्रथम बार में ही स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। दरों के सन्दर्भ में अतिरिक्त कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

2. ठेकेदार का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने पर किसी भी समय बीच में ठेका समाप्त किया जा सकता है। जिसके लिये ठेकेदार कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

3. विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना ठेकेदार द्वारा ठेका स्थानान्तरण का अधिकार न होगा।

4. ठेकेदार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक धन किसी भी व्यक्ति से वसूल नहीं किया जायेगा, साथ ही अनुमोदित सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री कैन्टीन से विक्रय नहीं की जाएगी। कोई भी सामग्री जो पूर्व अनुमोदित सूची में नही है, उसका विक्रय सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ही किया जा सकता है। यदि अधिक धनराशि वसूल करने अथवा अनानुमोदित सामग्री विक्रय की शिकायत प्राप्त होगी, तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि उसे जॉच कराकर यदि स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो ठेका निरस्त कर धरोहर की राशि जब्त कर लें।

5. डब्बा बंद खाद्य एवं पेय पदार्थो का अधिकतम खुदरा मूल्य (एम0आर0पी0) से अधिक दर पर विक्रय नहीं किया जाएगा।

6. किसी प्रकार का विवाद होने पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर का निर्णय अन्तिम रूप से ठेकेदार को मान्य होगा।

7. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि कोई भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।

8. जलपान गृह चलाने हेतु आवश्यक विद्युत व्यय भार फर्म को नियमानुसार प्रतिमाह विश्वविद्यालय के कैश कॉउन्टर पर नगद जमा करना होगा।

9. ठेका स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

10. ठेकेदार के प्रथम पक्ष के रूप में निविदा पत्र के साथ संलग्न अनुबन्ध पत्र के आधार पर निश्चित अवधि मे अनुबन्ध करना होगा।

11. निविदा लिफाफे के ऊपरी भाग पर ''जलपान गृह चलाने हेतु ठेका'' अवश्य अंकित करें।

12. ठेके के निर्धारित समय के मध्य विचलन/ छोडने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

13. निविदा कार्यावेश से एक वर्ष के लिये मान्य होगी, जिसे दोनो पक्षों की सहमति से आगे बढाया जा सकता है।

14. विश्वविद्यालय के मानकानुसार कैन्टीन की साफ–सफाई तथा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं शुद्धता का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/समिति द्वारा समय–समय पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता तथा साफ–सफाई की जाँच की जाएगी। किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है, तथा ठेके की धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

LIST OF ITEMS

1.	VEG SANDWICH	10/-
2.	CUTLETS (2)	12/-
3.	BREAD PAKORA (1 Pc)	5/-
4.	PAV BHAJI	20/-
5.	FINGER CHIPS (50 gm)	10/-
6.	SAMOSA	3/-
7.	SAMOSA WITH CHHOLA (2 Pc)	12/-
8.	CHHOLA RICE (HALF PLATE)	15/-
9.	ALOO PARATHE	10/-
10.	MAGGI (PLAIN) FULL	20/-
11.	VEG MAGGI (FULL)	20/-
12.	CREAM ROLL (1 Pc)	20/-
13.	CHOWMEIN (FULL)	20/-
14.	CHOWMEIN (HALF)	12/-
15.	FRIED RICE (FULL)	20/-
16.	FRIED RICE (HALF)	12/-
17.	DOSA (PLAIN)	15/-
18.	DOSA (MASALA)	20/-
19.	IDLI SAMBHAR (2)	15/-
20.	SAMBHAR VADA (2)	15/-
21.	CHOLLA BHATURA (2)	20/-
22.	ALOO PURI (04)	20/-

BEVERAGES

1.	TEA	4/-
2.	DIP TEA	5/-
3.	HOT COFFEE	8/-
4.	COLD COFFEE	12/-
5.	COLD DRINK	MRP
6.	JUICES	MRP
7.	MINERAL WATER	MRP